संख्या-शिक्षा -यू (जी-3) /सामान्य निर्देश /2020 /- 1150-61
कार्यालय , शिक्षा उपनिदेशक ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)
दिनांक 174303 17 अगस्त ,2020

प्रेषित ,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक ,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक /उच्च पाठशाला जिला ऊना (हि.प्र.)

विषय - सामान्य दिशा निर्देश ।

ज्ञापन,

इस कार्यालय के पत्र संख्या-शिक्षा -यू (जी-3) /सामान्य निर्देश /2020 /-790 दिनांक 14 जुलाई ,2020 के सन्दर्भ में जिसके अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) जिला के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यकों को सामान्य निर्देश दिए गये थे । दिशा निर्देशों के बिंदु 1 के अनुसार स्कूल भवन की चार दीवारी के साथ अथवा स्कूल परिसर और इसके आस पास पानी की निकासी का उचित प्रवन्ध करने के निर्देश दिए गये थे और इसके साथ ही ,बिंदु 3 पर अंकित निर्देश के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि " बरसात में कई बार स्कूल भवन की छत और दीवारों पर छोटे छोटे पौधे और घास उग जाती है यदि इस और ध्यान न दिया जाये तो ये पौधे एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो जाते हैं और इससे भवन को क्षति हो सकती है , ऐसे पेड़,पौधे और घास आदि भवनों पर न उगे, अगर उगे हुए है तो उन्हें तुरंत हटाएँ , ताकि स्कूल के भवन सुरक्षित रहे । परन्तु दु:ख का विषय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि स्कूलों के कई भवनों पर अभी घास उगी हुई है और चार दीवारी के साथ पानी की निकासी का भी उचित प्रबन्ध नही है जिसके कारण स्कूल की चार दीवारी को नुक्सान हो रहा है और स्कूल के भवनों को भी क्षति हो रही है । इससे प्रतीत होता है कि उक्त दिशा निर्देशों की स्कूलों द्वारा अनुपालना नही हो रही है । अधोहस्ताक्षरी एवं शिक्षा उप निदेशक (निरीक्षण विंग) द्वारा सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जायेगा और यदि किसी प्रकार की भी स्कूल में अव्यवस्था पायी गयी तो नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)

पृष्ठ स. सम 174303 अगस्त ,2020

प्रतिलिपि -

1. शिक्षा निदेशक उच्चतर शिमला (हि.प्र.) सूचना हेतु प्रेषित है ।

शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र

संख्या-शिक्षा -यू (जी-3) /सामान्य निर्देश /2020 /- 710
कार्यालय , शिक्षा उपनिदेशक ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)
दिनांक 174303 14 जुलाई ,2020

प्रेषित ,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक /उच्च पाठशाला जिला ऊना (हि.प्र.)

विषय :- सामान्य दिशा निर्देश ।

आपका,

आपको विदित है कि कोविड -19 के कारण शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखा गया है. स्कूल एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक ढांचा है और इस सन्दर्भ में स्कूल के सभी प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों को निम्न दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए जाते हैं ।

1. स्कूल की सम्पत्ति का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है । अभी बरसात का मौसम है , भारी वर्षा के कारण स्कूल की सम्पत्ति को कोई नुकसान न हो ,इसके लिए स्कूल भवन की चार दीवारी के साथ अथवा स्कूल परिसर और इसके आस पास पानी की निकासी का उचित प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें ।
2. स्कूल भवन में यदि कोई असुरक्षित कमरा है तो इसका उपयोग न किया जाये और आवश्यक कार्यवाही कर के पूरा मामला बनाकर इस कार्यालय को भेजें ताकि भवन के विघटन की अनुमति ली जा सके ।
3. बरसात में कई बार स्कूल भवन की छत और दीवारों पर छोटे छोटे पौधे और घास उग जाती है , यदि इस ओर ध्यान न दिया जाये तो ये पौधे एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो जाते हैं और इससे भवन को क्षति हो सकती है , अतः सुनिश्चित करें कि ऐसे पेड़ पौधे और घास आदि भवनों पर न उगें. अगर उगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटाएँ , ताकि स्कूल के भवन सुरक्षित रहें ।
4. जिन असुरक्षित भवनों को गिराने की अनुमति मिल गयी है , उन्हें औपचारिकताएँ पूरी करके तुरंत गिरा कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो ।
5. स्कूल में आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करना सुनिश्चित करें ताकि वर्षा अथवा किसी आपदा के कारण स्कूल में यदि कोई नुकसान होता है तो उसी समय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सूचना प्राप्त हो सके ।
6. बच्चों के दाखिले के लिए उनके अभिभावकों से सम्पर्क बना कर रखें और दाखिले की प्रक्रिया व अन्य औपचारिकताएं को निश्चित समय में पूरा करें ।
7. सभी प्रधानाचार्य एवं मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें कि स्कूल समय में स्कूल का कार्यालय खुला रहे ताकि किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश लेने, स्कूल त्याग पत्र लेने चरित्र प्रमाण पत्र लेने या अन्य कार्य के लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े ।
8. दूसरे स्कूलों से स्थानांतरित होकर आये शिक्षकों को अपने स्कूल के बच्चों को अध्यापन कार्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आ सके ।
9. जिन बच्चों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ने में असुविधा हो रही है ,उन्हें घर पर संबंधित विषय के नोट्स पहुँचाना सुनिश्चित करें और दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करें ।
10. सभी प्रधानाचार्य एवं मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें कि जिन ऑडिट पैरा का निपटान स्कूल स्तर पर ही सकता है तो उनका निपटान स्कूल स्तर पर ही करें । अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्बंधित ऑडिट पैरा को इस कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें । अधिक जानकारी के लिए श्रीमति रीता रानी अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) से उनके मोबाइल न. 94181-92100 पर सम्पर्क करें ।
11. कोविड -19 के कारण शिक्षा निदेशालय से अधिकतर आदेश व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त हो रहे हैं । स्कूल हैड्स ग्रुप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गये समय -समय पर दिए गये निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें ताकि उच्च अधिकारियों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके ।
12. आप किसी भी समय किसी भी अध्यापक/कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर स्कूल कार्य के लिए बुला सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी अपना स्टेशन स्कूल हैड की अनुमति के बिना न छोड़े ।
13. जैसे ही विभाग द्वारा स्कूल खोलने के आदेश आते हैं तो स्कूल परिसर और स्कूल के हर कमरे,कार्यालय , डेस्क और अन्य फर्नीचर आदि को प्रयोग में लाने से पहले सैनेटाइज अवश्य करें ।
14. इसके साथ कोविड -19 सम्बन्धी शिक्षा विभाग एवं जिलाधीश महोदय द्वारा समय समय पर जारी की गयी अडवाइजरी का पालन करें ।

शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)

पृष्ठ सं. सम 174303 जुलाई ,2020

प्रतिलिपि :
शिक्षा निदेशक उच्चतर शिमला (हि.प्र.) सूचना हेतु प्रेषित है ।

शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)